बीएस बातचीत

'गन्ने के बकाये में आई कमी'

राजग के सत्ता में आने के बाद खाद्य कीमत और उनसे जुड़े मुद्दे चर्चा में रहे हैं। खाद्य मंत्री **राम विलास पासवान** ने *संजीव मुखर्जी* को दिए साक्षात्कार में महंगाई के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। पेश हैं मुख्य अंश...

उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग ने गन्ने की कीमत के मसले पर पेराई रोकने की चेतावनी दी है। आपका क्या कहना है?

किसानों का गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पूरा प्रयास करेगा। यह भी याद रखना चाहिए कि चीनी मिल मालिक राज्य सरकारों द्वारा तय ऊंची कीमतों के कारण संकट पैदा होने की बात कर रहे हैं। हमने यह दर नहीं तय की है, केंद्र की तरफ से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) गन्ना मूल्य तय करता है। अब गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और इसके लिए उन्हें ही कार्रवाई करनी होगी।

इन हालात में केंद्र गन्ना किसानों को भुगतान और मिलों का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकता है?

हमने चीनी पर आयात शुल्क 15 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने, 10 फीसदी एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और ब्याज मुक्त कर्ज की अवधि को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने जैसी कई पहली की हैं।

मेरा मानना है कि कुछ समय की गई इन घोषणाओं के बाद चीनी मिलों ने किसानों को भुगतान कर दिया होगा। हम संबंधित राज्य सरकारों से भी बात कर रहे हैं और समस्याओं के समाधान के लिए चीनी मिलों व राज्यों के प्रतिनिधियों की 14 अगस्त को बैठक भी बुलाई है। मेरे कार्यभार संभालने के बाद गन्ने के बकाये में कमी आई है।

आपके मंत्रालय को एफसीआई का विभाजन भी करना है। इस दिशा में क्या प्रगति है?

एफसीआई के मुख्य रूप से तीन काम हैं, पहला खाद्यान्न भंडारण, दूसरा ढुलाई और तीसरा उसका वितरण है। वितरण का काम मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। इसलिए केंद्र के पास सिर्फ भंडारण और ढुलाई का काम है। अब यदि हम ढुलाई को अलग करते हैं तो इससे समस्या होगी। उदाहरण के लिए गेहूं पंजाब में पैदा होता है और मान लें कि इसे खपत के लिए बिहार भेजते हैं। अब यदि हम इसे दूसरे विभागों को सौंप देते हैं तो इनमें एक निश्चित रूप से रेलवे होगी, जबकि ढुलाई की अन्य इकाई एफसीआई के पास रहेगी। इस तरह की कई समस्याओं के कारण हम फिलहाल विचार कर रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

'किसानों के हितों की रक्षा करें राज्य'

पृष्ठ 1 का शेष

मंत्रालय ने बोनस देने वाले राज्यों से खाद्यान्न खरीद को सीमित करने का फैसला किया है। कुछ राज्यों द्वारा इसके विरोध की खबरें हैं। ऐसे में इस आदेश को कैसे लागू करेंगे?

मैं मानता हूं कि बोनस का वास्तव में किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। अगर राज्य किसी फसल को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उपज बढ़ाएं या उसके किसानों के हितों की रक्षा करें। उदाहरण के लिए किसानों को इनपुट सब्सिडी, फसली कर्ज ब्याज में छूट आदि योजनाएं शुरू हों। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि बाजार का स्वरूप नहीं बिगड़ेगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी किसी राज्य सरकार ने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है।

खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों के चयन के लिए 90 दिन की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्यों को इसे लागू करने पर कुछ आपत्तियां है। क्या सरकार की इसकी समीक्षा की कोई योजना है?

अभी तक 11 राज्य इसे लागू कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं की हैं। इसीलिए हमने इसे तीन महीने का विस्तार दिया है। हालांकि किसी भी राज्य ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। खाद्य मंत्रालय देश भर में इसके लागू होने के बाद ही कोई बदलाव करेगा, जिससे हम समस्याओं की बेहतर पहचान कर सकेंगे।

खाद्य महंगाई काफी ऊंची है। आपके मुताबिक मुख्य रूप से प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में तेजी की क्या वजह हैं?

देश में फल और सब्जियां पैदा करने वाले केंद्रों की संख्या कम है, जबकि खपत वाले केंद्रों की संख्या खासी ज्यादा है। मेरा पक्के तौर पर यह भी मानना है कि जमाखोरी की वजह से फल और सब्जियां महंगी हुई हैं। जुलाई और अक्टूबर में ऐसा ज्यादा देखा जाता है। इसके साथ ही भारत में किसानों और उपभोक्ताओं के स्तर पर सूचनाओं की कमी भी एक वजह है। इसके चलते थोक विक्रेता और बड़ी रिटेल चेन उनका आसानी से शोषण करती हैं।

2014-15 में खाद्य सब्सिडी 25 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। खाद्य सुरक्षा कानून से यह और बढ़ जाएगी। इसे काबू में रखने के लिए क्या योजना है?

खाद्य सब्सिडी के मसले पर मैं कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन मैं भंडारण और वितरण हानि में कमी लाने की दिशा में काम कर सकता हूं। एफसीआई की कुशलता पर ध्यान दिया जा सकता है। इस दिशा में मैं गंभीरता से काम कर रहा हूं।

फलों और सब्जियों की कीमतें काबू करने के लिए क्या रणनीतियां हैं?

मैंने बीते दो महीनों में कई पहल की हैं और कीमतों को काबू में करने के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे। जमाखोरी को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं और कालाबाजारी के लिए सजा की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक साल करने की योजना है। हम 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्यों की नियमित तौर पर निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने एपीएमसी से फलों व सब्जियों की सूचीबद्धता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दीर्घकालिक उपाय?

आपूर्ति चेन प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के विकास और वैज्ञानिक भंडारण व उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने की रणनीति पर काम चल रहा है। इसके साथ ही देश में भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये का वेयरहाउसिंग फंड तैयार किया गया है।

खाद्यान्नों का भंडार काफी ज्यादा है। मॉनसून में बर्बादी रोकने के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजनाएं क्या हैं?

मंत्रालय बारिश के मौसम में बर्बादी रोकने के लिए कई चरणों वाली रणनीति पर काम कर रहा है। ज्यादा भंडार होने की स्थिति में गेहूं को खुले बाजार में जारी किया जा रहा है और चावल की ज्यादा मात्रा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित किया जा रहा है।